



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932

No. 127]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

सा.का.नि. 206(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल स्थापन में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल समूह 'क' (राजपत्रित) अनुसचिवीय पद भर्ती नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	01* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 7,600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिचीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	कुछ नहीं

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)

शतप्रतिशत प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-3; 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6,600 रु. में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1.—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिचीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिसने छठे केन्द्रीय वेतन

(12)

आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वेतन बैंड-3, 15,600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6600 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य;

(ii) प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों का दस वर्ष का अनुभव।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति, प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण.—प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिसने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

- | | |
|---|----------|
| 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. महानिदेशक या महानिरीक्षक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |
| 3. संयुक्त सचिव या निदेशक, गृह मंत्रालय | —सदस्य |
| 4. उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	03* (2011) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, (अनुसंचिवीय)	वेतन बैंड-3, 15600-39,100 रु. + ग्रेड वेतन 6,600 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	(8)		(9)		(10)	
	लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	
	(11)		(12)			

शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति :

वेतन बैंड-2; 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन, 4600 रु. में, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे अनुभाग अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में विचार किया जाएगा परन्तु यह तब तक कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हता या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिसने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :—

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वेतन बैंड-3; 15600-39100 रु. + ग्रेड वेतन 5400 रु. या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री या समतुल्य;

(ii) प्रशासन, स्थापन और लेखा मामलों का पांच वर्ष का अनुभव।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्तियों प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति

(12)

की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

टिप्पण : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले/उस तारीख से जिसने छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतन का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

(13)

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :—

- | | |
|---|----------|
| 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग | —अध्यक्ष |
| 2. महानिदेशक या महानिरीक्षक भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |
| 3. उप महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल | —सदस्य |
| 4. निदेशक या उप-सचिव, गृह मंत्रालय | —सदस्य |

(14)

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. I.12012/1/2005-संगठन]

हरीश चन्द्र, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th March, 2011

G.S.R. 206(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police Force, Group 'A' (Gazetted) Ministerial Posts, Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Chief Administrative Officer and Senior Administrative Officer in the establishment of Indo-Tibetan Border Police Force, Ministry of Home Affairs, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Group 'A' (Gazetted) Ministerial Posts Recruitment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of the said post, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the above said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

917 GI/11-2

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band, and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection of posts or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Chief Administrative Officer	01*(2011) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 7600	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
Not applicable			Not applicable		Nil	
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grade from which promotion or deputation/absorption to be made			
(11)			(12)			
100% by promotion failing which by deputation.			Promotion : Senior Administrative Officer of Indo-Tibetan Border Police Force in Pay Band-3; Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with five years' regular service in the grade. Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher			

(12)

grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers under the Central Government :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay band and grade pay or pay scale of Pay Band-3, Rs. 15600-39100 with grade pay of Rs. 6600 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Bachelor's Degree of a recognised University or equivalent;

(ii) Ten years' experience in administration, establishment and accounts matters.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Group 'A' Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

(13)

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

1. Chairman or Member, Union Public Service Commission —Chairman

Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(13)

2. Director General or Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force	—Member
3. Joint Secretary or Director, Ministry of Home Affairs	—Member
4. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior Administrative Officer	03*(2011) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Ministerial)	Pay Band-3 Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600	Selection	Not applicable	Not applicable
(8)			(9)	(10)		
Not applicable			Not applicable	Two years for promotees		
(11)			(12)			

100% by promotion failing which by deputation.

Promotion :

Section Officers of Indo-Tibetan Border Police Force in Pay Band-2, Rs. 9300-34800 plus Grade Pay of Rs. 4600 with seven years regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.

Deputation :

Officers under the Central Government :

(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band-3, Rs.15600-39100 with grade pay of Rs. 5400 or equivalent in the parent cadre or department; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) Bachelor's Degree of a recognised University or equivalent;

(12)

(ii) Five years' experience in administration, establishment and accounts matters.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications).

Note : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :

- | | |
|--|-----------|
| 1. Chairman or Member, Union Public Service Commission | —Chairman |
| 2. Director General or Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force | —Member |
| 3. Deputy Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force | —Member |
| 4. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs | —Member |

Consultation with Union Public Service Commission necessary for promotion.

[F.No. I. 12012/1/2005-Org.]

HARISH CHANDER, Dy. Secy.

917 GI/11-3